

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी- सुश्री अंजु शर्मा ,आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या- 05/2021 प्रार्थना पत्र

दिनांक 08.12.2021

अनवान

पीरूलाल पिता कन्नीराम खटीक उम्र वयस्क निवासी भादसोडा तहसील भदोसर  
.....प्रार्थी

बनाम

1. उदा पिता मांगू जी चमार उम्र वयस्क निवासी सोहनखेडा तहसील भदोसर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भदोसर जिला चित्तौड़गढ़ (राज) —विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

उपस्थित :- श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

हस्तगत प्रार्थना के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में जोड़ी गई नवीन धारा 251-ए के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया -

1. कि मौजा भादसोडा, पटवार हल्का भादसोडा तहसील भदोसर, जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 1065 में अंकित आराजी नम्बर 4278/1038 रकबा 0.13 हैक्टेयर आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होकर प्रार्थी आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2076 एवं नक्शा ट्रेस संलग्न प्रार्थना पत्र है।
2. कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम सं. 01 में वर्णित कृषि आराजीयात पर आने जाने, कृषि उपकरण लाने ले जाने के लिए ग्राम भादसोडा पटवार हल्का भादसोडा में स्थित विपक्षी सं. 01 की खाता सं. 46 पर दर्ज आराजी नम्बर 1041 रकबा 0.29 हैक्टेयर की मेड पर स्थित कदीमी रास्ते से अपने ट्रैक्टर बैलगाडी, मवेशी आदि लाता ले जाता रहा है इस रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अपनी उक्त आराजीयात पर नक्शा का ओर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। लेकिन नक्शे में रास्ता दर्ज नहीं होने के कारण

उपखण्ड अधिकारी  
भदोसर, जिला चित्तौड़गढ़

विपक्षी सं. 01 उसकी उक्त आराजीयात की मेड पर स्थित कदीमी रास्ते से प्रार्थी को उसकी आराजीयात पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी है तथा प्रार्थी द्वारा इस रास्ते से गुजरने पर लडाईं झगडा करने पर आमादा हो जाता है इसलिये विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 1041 रकबा 0.29 हैक्टेयर मेड पर स्थित कदीमी रास्ते को राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज कर प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने हेतु राज्य सरकार के मापदण्डानुसार रास्ता कायम कराकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना न्यायहित में आवश्यक है प्रार्थी नियमानुसार वर्तमान राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित रास्ते की जमीन की कीमत डीएलसी दर से विपक्षी सं. 01 को अदा करने के लिये तैयार एवं तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की ग्राम भादसोडा, पटवार हल्का भादसोडा के खाता सं. 1065 में अंकित आराजी नम्बर 4278/1038 रकबा 0.13 हैक्टेयर में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 01 की आराजी नम्बर 1041 रकबा 0.29 हैक्टेयर की मेड के कदीमी रास्ते में से सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार रास्ता प्रार्थी को डीएलसी दर से कीमत लेकर दिलाया जावे एवं रास्ते की भूमि के आराजी नम्बर अंकित कर राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। पैरोकार सरकार द्वारा मौका कमीशनरी रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2021/क.रि./11 दिनांक 06.12.2021 से तैयार कर प्रस्तुत की गई जो इस प्रकार है कि बरूएँ रेकार्ड आ.नं0 4278/1038 के साथ आराजी नम्बर 4277/1038 भी वादी की आराजी है एवं दोनो लगती हुई है। इन आराजीयात में पहुँच मार्ग रेकार्ड में नहीं है। वादी अपनी इन आराजीयात में आने जाने के लिये प्रतिवादी की आराजी नं. 1041 का उपयोग करना मौतबिरान द्वारा बताया गया एवं मौके पर भी इस बात की पुष्टि हो रही है। वादी की आराजी नम्बर 1041 में वर्तमान में सांवलिया जी भादसोडा पक्की सडक भी निकल रही है तथा उक्त आराजी नम्बर 1041 वादी की प्रश्नतगत आराजीयात 4277/1038 के सहारे सहारे स्थित है। वादी अपनी आराजीयात में पहुँचने के लिये प्रतिवादी की आराजी नम्बर 1041 में मौका अनुसार रास्ता चाहता है। मौका परिस्थिति अनुसार वादी 15 मीटर लम्बा एवं 10 मीटर चौडा कुल 150 वर्गमीटर भूमि को रास्ते हेतु उपयोग



  
जिलाधिकारी  
जयपुर, जिला-जयपुर

होना कमीशनरी रिपोर्ट में मार्ग प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251-ए निम्न शर्तों के अधधीन प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 अभियान के तहत कन्नौज शिविर में स्वीकार किया जाता है -

1. ग्राम भादसोडा, पटवार हल्का भादसोडा के खाता सं. 1065 में अंकित आराजी नम्बर 4278/1038 रकबा 0.13 भूमि पर रेकोर्डेड मार्ग नहीं होकर पहुच मार्ग का अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में उक्त आराजी के पडोस की विपक्षी सं. 01 आराजी नम्बर 1041 रकबा 0.29 हैक्टेयर में से  $15 \times 10 = 150$  वर्गमीटर भूमि (15 मीटर लम्बा एवं 10 मीटर चौडा) कमीशनरी रिपोर्ट अनुसार अवाप्त की जाकर राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।
2. रास्ता हेतु रास्ते हेतु अवाप्त की जाने वाली भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकन की राशि प्रार्थी से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति राशि के रूप में नियमानुसार संदाय किये जाने के उपरान्त ही उक्त भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल किया जा सकेगा।
3. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थी का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के स्वामित्व के अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे।

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार रास्ते हेतु भूमि का वर्तमान प्रचलित बाजार (रूपये प्रति एयर से)कीमत मूल्याकन की दुगुनी राशि कमीशनर रिपोर्ट में प्रस्तावित अनुसार प्रार्थी से वसूल कर हितबद्ध खातेदारान् को क्षतिपूर्ति हेतु वसूल किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाने हेतु प्रेषित की जावे।

निर्णय टंकित कराया जाकर सुनाया गया।



(अंजु शर्मा)  
सुपरव्हाइजर  
भदेसर, जिला-घरौली